न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 03/23 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2023/6

अनवान्

1. श्री ईन्दरदास पिता सीताराम वैष्णव निवासी नाहरमगरा तह. मावली।

..............प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती वदामीबाई पत्नी सीताराम वैष्णव निवासी नाहरमगरा तह. मावली।
2. श्री प्रभुदास पिता सीताराम वैष्णव निवासी नाहरमगरा तह. मावली।
3. श्रीमती पुष्पा पुत्री सीताराम पत्नी रोडीदास वैष्णव निवासी गुपडा तह. वल्लभनगर।
4. अनिता पुत्री सीताराम वैष्णव निवासी नाहरमगरा तह. मावली।
5. श्री निर्मल माता कमला पिता नटवरदास वैष्णव निवासी लक्ष्मणपुरा तह. वल्लभनगर।
6. कोमल माता कमला पिता नटवरदास वैष्णव निवासी लक्ष्मणपुरा तह. वल्लभनगर।
7. श्री मनोहरदास माता सन्तोष पिता राधेश्याम वैष्णव निवासी लदाना तह. मावली।
8. उप पंजीयक अधिकारी सनवाड तह. मावली।
9. पटवारी, पटवार हल्का चंगेडी तह. मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सुरेश चन्द्र डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 7

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 16.12.2024

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी की आराजी नम्बर 1443, 1445, 1446, 1494, 1495, 1496, 1498, 1501 किता 8 रकबा 2.2177 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी हक से दर्ज हैं।

2. यह कि उभय पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

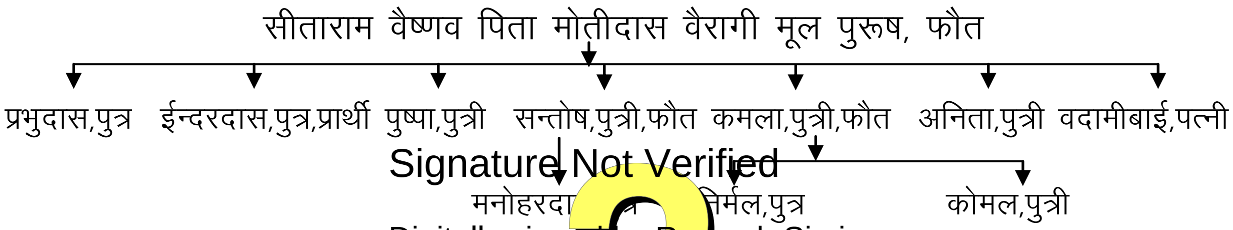

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सजरे अनुसार सीताराम जी के दो पुत्र प्रभदास, ईन्दरदास (प्रार्थी) एवं चार पुत्रीया पुष्पा, सन्तोष, कमला, अनिता हुई। पुत्री सन्तोष व कमला का निधन हो चुका है। सन्तोष का वारिस पुत्र मनोहरदास एवं कमला के वारिस पुत्र निर्मल व पुत्री कोमल है। वदामीबाई सीताराम की पत्नी है तथा सीताराम जी एवं वदामीबाई के प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 2 से 4 जायन्दा सन्ताने है एवं विपक्षी सं. 5 से 7 सीताराम जी एवं वदामीबाई की स्वर्गीय पुत्रीयों कमला व सन्तोष के वारिसान हैं।

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वर्तमान में मुझ प्रार्थी की माता विपक्षी संख्या 1 वदामीबाई के नाम पर अवश्य ही खातेदारी हक से दर्ज हैं किन्तु कुलिया कृषि भूमि की विपक्षी संख्या 1 स्वामीनी नही है, न ही विपक्षी संख्या 1 का कुलिया कृषि भूमि पर कब्जा है, न ही कभी रहा हैं। क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि को खरीदने के लिये हमारे पिता ने मौजा नाहरमगरा पटवार हल्का नाहरमगरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित हमारी पैतृक कृषि भूमि आराजी नम्बर 4374/546 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में निहित अपना हक हिस्सा एवं जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2066 की खाता संख्या 1583 की कुल किता 7 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि में निहित अपने तमाम हक हिस्से को दिनांक 09.07.2008 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए विक्रय किया है और उक्त पैतृक कृषि भूमि विक्रय करने से जो भी प्रतिफल राशि प्राप्त हुई उससे वाद में वर्णित कृषि भूमि को दिनांक 27.10.2008 को क्रय किया गया तथा सभी की सहमति से हमारी माता विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि के विक्रय पत्र पंजीयन करवाया। उक्त कृषि भूमि क्रय करने के साथ ही हमारे पिताजी ने उक्त कृषि भूमि का अपने वारिसानों के मध्य मौके पर बंटवाड़ा कर पृथक–पृथक काबिज करा दिया जिससे हम सभी वारिसान उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि को विक्रय कर खरीदी गई है जिससे वाद वर्णित कृषि भूमि भी हमारी पैतृक सम्पत्ति ही हैं।

4. यहकि मैं प्रार्थी वाद वर्णित कृषि भूमि में निहित अपने हिस्से कब्जे की कृषि भूमि पर अपने पिताजी के जीवनकाल से ही शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूँ तथा मुझ प्रार्थी के परिवार की आय का मुख्य स्त्रोत भी उक्त कृषि भूमि पर उपजने वाली पैदावार से ही है और उससे ही हमारे परिवार का गुजर बसर होता आ रहा हैं तथा मुझ प्रार्थी ने काफी लागत लगाकर उक्त कृषि भूमि को विकसित की है। कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु तारबन्दी करवाई और कृषि भूमि की पिलाई हेतु दो ट्यूबवेल भी खुदवा रखी है जिसका उपयोग मैं तथा निर्बाध रूप से करता आ रहा हूँ। हमारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

पिताजी के जीवनकाल में विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कभी कोई उजर एतराज नहीं किया गया है किन्तु हमारे पिताजी का दिनांक 20.10.2022 को निधन हो जाने के कुछ समय बाद से ही विपक्षी संख्या 1 के मन में लोभ लालच की भावना जाग्रत हो गई जो लोभ लालच के वशीभूत होकर विपक्षी संख्या 2 से 7 के सिखावे एवं बहकावे में आकर मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी कर व्यवधान पहुँचाने लग गई और उक्त कृषि भूमि अपने नाम पर दर्ज होने से वो हमारे संयुक्त परिवार की अविभाजित जायदाद को खुर्द बुर्द करने एवं मुझ प्रार्थी को जोर जबरदस्ती उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकीयां देने लग गई। जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही हैं। उक्त कृषि भूमि हमारी अन्य पैतृक कृषि भूमि को विक्रय कर विपक्षी संख्या 1 के नाम पर क्रय की गई है जो कि संयुक्त परिवार की अविभाजित जायदाद होकर पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की है और मैं प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर अपने हिस्सेनुसार अनवरत हर आम एवं खास की जानकारी में काबिज होकर काश्त करता आ रहा हूँ। इसलिये मैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में अपने विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में अपने नाम 1/7 हिस्सा भूमि खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूँ। इसलिये मुझ प्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

5. यहकि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि को हमारे पिता द्वारा खरीदी गई है और हमारे पिता ने हमारी पैतृक कृषि भूमि को बेचकर उससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल से उक्त कृषि भूमि को क्रय किया है और हमारे पिता द्वारा ही इसके स्वामी से विपक्षी संख्या के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया था और मौके पर कब्जा प्राप्त किया था तत्पश्चात् हमारे पिता ने अपने वारिसानों के मध्य उक्त कृषि भूमि आपसी पांती बंटवाड़ा कर दिया जिससे मैं प्रार्थी निर्बाध रूप से अपने पिता के जीवनकाल से ही उक्त कृषि भूमि में अपने हक हिस्से पर काबिज चला आ रहा हूँ जिसका ज्ञान विपक्षीगण एवं हर आम व खास को हैं किन्तु उक्त जमीन वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम पर रेकर्ड में दर्ज है तथा विपक्षी संख्या 2 से 7 ने विपक्षी संख्या 1 को अपने वश में कर रखा है जो विपक्षी संख्या 1 से इस जमीन को हस्तान्तरित करा खुर्द बुर्द करने के भरसक प्रयास कर रहे है और विपक्षी संख्या 1 भी लोभ लालच के वशीभूत होकर अपने नाम अंकित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने हेतु इनका पूर्ण सहयोग कर रही है और मुझ प्रार्थी को मेरे जायज हक व अधिकारों से वंचित करने एवं मेरे हिस्से कब्जे की भूमि से मुझे बेदखल करने पर आमादा है। इसी उद्देश्य से विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 19[illegible] को विपक्षी संख्या 2 से 7 के सिखावे व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

बकहावे में आकर मुझ प्रार्थी को धमकी दी कि मैं इस जमीन को बेच रही हूँ, तुम अपना कब्जा हटा लेना वरना खरीददार लाठी के बल पर जोर जबरदस्ती तुम्हे बेदखल कर देगें। इसके साथ ही विपक्षी संख्या 2 से 7 ने भी धमकी दी कि वो विपक्षी संख्या 1 से इस कुलिया जमीन को खुर्द बुर्द करवाकर ही दम लेगें। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही हैं। इसलिये मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि विपक्षी संख्या 1 से 7 मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, विपक्षी संख्या 1 अपने नाम अंकित भूमि को अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें तथा विपक्षी संख्या 8, 9, 10 भी रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें, उक्त कृषि भूमि से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज का पंजीयन नही करें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है।

6. यहकि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 19.12.2022 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से 7 की बहकावट व सिखावट में आकर अपने नाम अंकित कुलिया भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने व मुझ प्रार्थी को मेरी भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दी। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

7. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, प्रार्थी को बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि को विपक्षी संख्या 2 से 7 विपक्षी संख्या 1 को बहकावें में लेकर रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करावें, विपक्षी संख्या 1 स्वयं भी अपने नाम दर्ज भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करें, प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें, विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद विपक्षी संख्या 8 पंजीयन नही करे व विपक्षी संख्या 9, 10 ताफैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि में वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में मुझ विपक्षीयां संख्या 1 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कुलिया कृषि भूमि पर मेरी स्वअर्जित सम्पत्ति होकर वक्त खरीद से मैं विपक्षीया काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूँ और आज भी मुझ विपक्षीयां के ही कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हैं। मुझ विपक्षीयां के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थी अथवा विपक्षी संख्या 2 से 7 का कोई हक अधिकार, कब्जा भुगत भोग नही हैं।

9. यहकि मुझ विपक्षीयां के नाम पर दर्ज वाद वर्णित कुलिया कृषि भूमियां मुझ विपक्षीयां द्वारा मेहनत मजदूरी कर एक–एक रूपया जोड़कर खरीदी गई थी और उक्त कृषि भूमि की कुलिया कीमत का रूपया मुझ विपक्षीयां द्वारा ही विक्रेतागण को भुगतान किया गया जिससे विक्रेतागण द्वारा उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र मुझ विपक्षीयां के पक्ष में लिखवाकर नियमानुसार विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया गया था और विक्रेतागण द्वारा विक्रीत कृषि भूमि का भौतिक व वास्तविक कब्जा मुझ विपक्षीयां को मौके पर सुपुर्द किया गया था जिससे मैं विपक्षीयां वक्त खरीद से निर्बाध रूप से उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हूँ और आज भी कुलिया कृषि भूमि मेरे ही कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में हैं। मेरे पति द्वारा उनकी खातेदारी की कृषि भूमि को बेचकर उक्त कृषि भूमि को नही खरीदी गई है, न ही मेरे पति द्वारा उनकी खातेदारी की बेची गई जमीन से प्राप्त हुवे रूपयों में से कोई राशि वाद वर्णित कृषि भूमि को खरीदने में दी गई थी बल्कि मेरे पति द्वारा जमीन बेचने पर जो कीमत प्राप्त हुई थी उस कीमत को अपनी सभी संतानों में बांटकर सभी की आर्थिक मदद कर दी। मेरे पति ने प्रार्थी को उसके हिस्से की जो राशि दी उससे प्रार्थी स्वयं ने नाहरमगरा में ही हाईवे रोड़ के किनारे स्थित जमीन में से प्लोट खरीदा और मकान निर्माण कराया और मकान निर्माण होने के बाद से इसी मकान में वो उसकी पत्नी, बाल बच्चो सहित निवास कर रहा है। इस प्रकार मेरे खातेदारी की कृषि भूमि में प्रार्थी अथवा अन्य विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा नही है, न ही मैने अपनी खातेदारी की भूमि का इनके मध्य बंटवारा कर रखा है बल्कि वक्त खरीद से मेरे ही कब्जे काश्त में है और मैने अपनी उक्त भूमि को विकसित किया और खेतो व फसलो की सिंचाई/पिलाई के लिये मैने इस पर दो ट्यूबवेल भी खुदवाये है जो आज भी मौजूद है। मेरी उपरोक्त दर्ज भूमि न तो पैतृक है, न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

इसमें प्रार्थी या अन्य का कोई हक अधिकार हैं बल्कि उक्त भूमि मेरी स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसे मुझे मेरी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

10. यह कि उक्त जायदाद मेरी स्वअर्जित सम्पति है और मैं विपक्षीया इसकी खातेदार काश्तकार हूं जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है, न ही प्रार्थी का इस भूमि के किसी भाग पर कब्जा है, न ही प्रार्थी द्वारा मेरी उक्त भूमि पर किसी प्रकार की लागत लगाई है। प्रार्थी ने सभी कथन गलत अंकित किये है। वास्तविकता यह है कि वाद वर्णित कृषि भूमि को मुझ विपक्षीया द्वारा इसके पूर्व खातेदारों से कीमत का रूपया देकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए खरीदी और कब्जा प्राप्त किया गया है जिस पर मैं विपक्षीया नियमित एवं निर्बाध रूप से काबिज चली आ रही हूं और मुझे मेरी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमियों का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने के पूरे अधिकार प्राप्त हैं। मुझ विपक्षीया के पति द्वारा इस जमीन को खरीदने में किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं किया गया था, न ही उन्होने अपनी खातेदारी की जमीन को बेचकर मेरे नाम पर इस जमीन को खरीदा गया है। यदि मेरे पति उनकी खातेदारी की जमीन को बेचकर इस जमीन को खरीदते तो अवश्य ही वे अपने स्वयं के नाम पर ही विक्रेतागण से विक्रय पत्र का निष्पादन करवाकर पंजीयन करवाते। इससे यह प्रमाणित है कि उक्त भूमि मैने अपनी निजी आय से खरीदी थी और मैने अपने पक्ष में ही विक्रय पत्र का पंजीयन कराया। मेरे पति के निधन हो जाने का कथन स्वीकार हैं। प्रार्थी रिश्ते मे मेरा पुत्र अवश्य है लेकिन प्रार्थी ने कभी भी अपने पुत्र होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई है बल्कि हर वक्त मुझसे व मेरे पति को नाजायज रूप से लडाई झगडा कर जलील परेशान किया गया और येनकेन प्रकारेण रूपया ऐंठता रहा व आर्थिक नुकसान पहुंचाता रहा है और कभी भी न तो हमारे हालचाल के बारे में पूछा, न ही सेवा सुश्रुषा व भरण पोषण किया गया। मैं विपक्षीया आज भी सबसे छोटी पुत्री (जो कि मुकबाधिर होकर मन्दबुद्धि है) के साथ नाहरमगरा में निवास कर रही हूं और मैं स्वयं ही अपना व अपनी पुत्री का भरण पोषण कर रही हुं। मेरी खातेदारी की भूमि के इन्च मात्र भू भाग पर भी प्रार्थी का न तो पहले कब्जा था, न ही वर्तमान में है ऐसी अवस्था में मेरे द्वारा प्रार्थी के उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उक्त भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीदी हुई नहीं है, न ही पैतृक भूमि है, न ही संयुक्त परिवार की अविभाजित जायदाद है। उक्त भूमि की मैं स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार हूं और मुझे अपनी इच्छानुसार अपनी इस भूमि का उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है तथा उक्त भूमि मेरी स्वअर्जित सम्पति है जिसकी पुष्ठि उपलब्ध रेकार्ड से होती है ऐसी अ[illegible] प्रार्थी का मेरी खातेदारी की भूमि में न

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

तो कोई हक हिस्सा है, न ही मेरी खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार के हक हिस्से की घोषणा कराने का प्रार्थी अधिकार रखता है। मैं विपक्षीयां विपक्षी सं. 2 से 7 के बहकावे व सिखावे में नहीं हूं, न ही इनके बहकावे में मेरी उक्त जमीन को हस्तान्तरित करना चाहती हूं बल्कि प्रार्थी दबाव बनाकर मुझसे मेरी खातेदारी की जमीन को खुर्द बुर्द करवाकर नाजायज तरीके से रूपया ऐंठना चाहता है इसी नियत से प्रार्थी ने यह झूठा दावा किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्णतया मिथ्या व मनगढन्त कथनों पर आधारित है जो प्रार्थी ने मुझे तंग परेशान करने की नियत से किया हैं जो सव्यय खारिज फरमाया जावें।

11. यह कि प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया मामला है, न ही सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि वादगत कृषि भूमि की मैं विपक्षी रजिस्टर्ड स्वामिनी हूं और वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में मुझ विपक्षीया के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज है और वक्त खरीद से ही मुझ विपक्षी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में है और इस भूमि को विकसित करने हेतु मैने इस भूमि पर काफी लागत लगाई है जिसका ज्ञान प्रार्थी तथा हर आम एवं खास को हैं। इसके विपरित प्रार्थी न तो खातेदार है, न ही इस भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा भुगत भोग रहा है, न ही प्रार्थी ने कोई लागत इस भूमि पर लगाई है, न ही मैने कभी इस भूमि का बंटवाडा किया है, न ही अन्य किसी के बहकावे में आकर अपनी खातेदारी की भूमि को हस्तान्तरित करना चाहती हूं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी मुझ विपक्षीया के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से मुझ विपक्षीया को भारी क्षति एवं असुविधा होगी और इसकी आड में प्रार्थी मेरी स्वतन्त्र खातेदारी की कृषि भूमि के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करेगा, कब्जा करने की कोशिश करेगा। जिससे मुझ विपक्षीया के वैध विधिक अधिकारों का हनन होकर इससे मुझ विपक्षीया को अतुलनीय क्षति एवं अशोधनीय हानि होगा जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में आंका जाना सम्भव नहीं है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थी को कोई क्षति या असुविधा न तो हो रही है, न ही भविष्य में होगी। कानूनन भी एक खातेदार को उसकी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से रोका जाना न्यायोचित नहीं हैं।

12. यह कि प्रार्थी को मुझ विपक्षीया के विरूद्व दिनांक 19.12.2022 या अन्य किसी दिवस कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ है और न ही निरन्तर जारी हैं। प्रार्थी ने केवल मात्र दबाव बनाकर मुझ विपक्षीया से नाजायज रूप से मेरी जमीन को हथियाने एवं रूपया ऐठना की मन्शा से गलत प्रार्थना पत्र कारण रचित कर यह मिथ्या मुकदमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय आपमें कर दिया है जिसमें प्रार्थी को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्ततः सव्यय खारिज होगा।

13. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी मुझ विपक्षीया के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

14. **विपक्षी सं. 2 से 7 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि** प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने का तथ्य स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थी को कभी भी सफलता नही मिलेगी और प्रार्थी का दावा अन्ततः सव्यय खारिज होगा।

15. यहकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि मौजा चंगेड़ी, पटवार हल्का चंगेड़ी, तहसील मावली में स्थित होकर विपक्षी संख्या 1 के नाम स्वतन्त्र रूप से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हक से अंकित होना स्वीकार हैं। निवेदन है कि उक्त कृषि भूमि विपक्षीयां संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिस पर वक्त खरीद से विपक्षीया संख्या 1 काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही है और आज भी विपक्षीयां संख्या 1 का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। विपक्षीयां संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थी अथवा हम विपक्षीगण संख्या 2 से 7 का कोई हक अधिकार, कब्जा भुगत भोग नही हैं।

16. यह कि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज वाद वर्णित कुलिया कृषि भूमियां विपक्षीयां संख्या 1 द्वारा मेहनत मजदूरी कर एक–एक रूपया जोड़कर खरीदी गई थी और उक्त कृषि भूमि की कुलिया कीमत का रूपया विपक्षीया संख्या 1 द्वारा ही विक्रेतागण को भुगतान किया गया जिससे विक्रेतागण द्वारा उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र विपक्षीया सं. 1 के पक्ष में लिखवाकर नियमानुसार विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया गया और विक्रेतागण द्वारा विक्रीत कृषि भूमि का भौतिक व वास्तविक कब्जा विपक्षीया संख्या 1 को मौके पर सुपुर्द किया गया जिससे विपक्षीया संख्या 1 वक्त खरीद से निर्बाध रूप से उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही है और आज भी कुलिया कृषि भूमि विपक्षीया संख्या 1 के ही कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है। हमारे पिता/नानाजी द्वारा उनकी खातेदारी की कृषि भूमि को बेचकर विपक्षीया संख्या 1 के नाम पर उक्त कृषि भूमि को नहीं खरीदी गई है, न ही उनके द्वारा उनकी खातेदारी की बेची गई जमीन से प्राप्त हुवे रूपयों में से कोई राशि वाद वर्णित कृषि भूमि को खरीदने में दी गई थी बल्कि हमारे पिता/नानाजी द्वारा जमीन बेचने पर जो कीमत प्राप्त हुई थी उस कीमत को अपनी सभी संतानो में बांटकर सभी की आर्थिक मदद कर दी। हमारे पिता/नानाजी ने प्रार्थी को उसके [illegible] की जो राशि दी उससे प्रार्थी स्वयं ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

नाहरमगरा में ही हाईवे रोड के किनारे स्थित जमीन में से प्लोट खरीदा और मकान निर्माण कराया और मकान निर्माण होने के बाद से इसी मकान में वो उसकी पत्नी, बाल बच्चो सहित निवास कर रहा है। इस प्रकार विपक्षीया संख्या 1 की कृषि भूमि में प्रार्थी अथवा हम विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है, न ही विपक्षीयां संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी की इन भूमियों का अपने वारिसानों के मध्य बंटवारा कर रखा है बल्कि वक्त खरीद से विपक्षी संख्या 1 के ही कब्जे काश्त में है और विपक्षीया संख्या 1 ने अपनी उक्त भूमि को विकसित किया और खेतो व फसलो की सिंचाई/पिलाई के लिए इस पर दो ट्यूबवेल भी खुदवाये है जो आज भी मौजूद है। विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज भूमि हमारी पैतृक नहीं है, न ही संयुक्त परिवार की अविभाजित जायदाद है जिससे इस भूमि में हमारा कोई हक अधिकार नहीं हैं।

17. यह कि उक्त जायदाद विपक्षीया संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है और विपक्षीया संख्या 1 इसकी खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी व हमारा कोई हक हिस्सा नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है, न ही प्रार्थी व हमारा इस भूमि के किसी भाग पर कब्जा है, न ही प्रार्थी व हमने उक्त भूमि पर किसी प्रकार की लागत लगाई गई है, न ही प्रार्थी ने कोई पैदावार प्राप्त की। प्रार्थी ने सभी कथन गलत अंकित किये है। विपक्षीयां संख्या 1 को उसकी खातेदारी की कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है और विपक्षीया संख्या 1 को उसकी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग करने से रोकने का प्रार्थी अथवा हमको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हम सभी लोग अलग–अलग स्थानों पर निवास कर रहे है और हमने कभी भी विपक्षीया संख्या 1 को उसकी खातेदारी की भूमि को हस्तान्तरित करने हेतु उकसाया नहीं है, न ही विपक्षीयां संख्या 1 हमारे बहकावे में है। वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थी जैसे तैसे दबाव बनाकर विपक्षीया संख्या 1 से उसके नाम अंकित भूमि को खुर्द बुर्द करवाना उसका रूपया प्राप्त करना चाह रहा है और इसी नियत से कुछ समय से विपक्षीयां संख्या 1 को तंग प्रताडित करने लग गया है तथा दबाव बनाने की गरज से ही यह झूठा मुकदमा किया है। प्रार्थी ने कभी भी अपने पुत्र होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई है बल्कि हर वक्त हमारे माता–पिता/नाना–नानी को नाजायज रूप से जलील परेशान कर लडाई झगडा करता रहा और येनकेन प्रकारेण रूपया ऐंठता रहा व आर्थिक नुकसान पहुंचाता रहा और सेवा सुश्रुषा व भरण पोषण नहीं किया गया। आज भी विपक्षीयां संख्या 1 अपनी सबसे छोटी पुत्री (जो कि मुकबधिर होकर मन्दबुद्धि है) के साथ नाहरमगरा में निवास कर रही है और स्वयं ही अपना व अपनी पुत्री का भरण पोषण कर रही हैं। उक्त भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीदी हुई नहीं है, न ही पैतृक भूमि है, न ही संयुक्त परिवार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

अविभाजित जायदाद है। उक्त भूमि की विपक्षीया संख्या 1 स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार है और उन्हे अपनी इच्छानुसार अपनी इस भूमि का उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है तथा उक्त भूमि विपक्षीया संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पति है जिससे इसमें प्रार्थी या हमारा कोई हक अधिकार न तो कभी रहा है, न ही वर्तमान में हैं। ऐसी अवस्था में इस भूमि में किसी प्रकार के हक हिस्से की घोषणा कराने का प्रार्थी अधिकार नहीं रखता है। उक्त मुकदमा प्रार्थी ने हमे नाजायज रूप से जलील परेशान कर दबाव बनाने की गरज से किया है जो पूर्णतया मिथ्या व मनगन्त कथनों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

18. यह कि प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है, न ही सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि वादगत कृषि भूमि की विपक्षीया संख्या 1 रजिस्टर्ड स्वामीनी होकर स्वत़न्त्र खातेदार काश्तकार है और वक्त खरीद से ही यह भूमि विपक्षीया संख्या 1 के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में है और इस भूमि को विकसित करने हेतु विपक्षीयां संख्या 1 ने इस भूमि पर काफी लागत लगाई है जिसका ज्ञान प्रार्थी तथा हर आम एवं खास को है। इसके विपरित प्रार्थी न तो खातेदार है, न ही इस भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा भूगतभोग रहा है, न ही प्रार्थी ने कोई लागत इस भूमि पर लगाई है, न ही इस भूमि का बंटवाडा किया है, न हमने कभी विपक्षीयां संख्या 1 को इस जमीन को हस्तान्तरित करने हेतु उकसाया है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी हमारे विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं हैं।

19. यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 19.12.2022 या अन्य किसी दिवस कोई प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं हुआ है और न ही निरन्तर जारी है। प्रार्थी ने केवल मात्र दबाव बनाकर विपक्षीया से नाजायज रूप से उनकी जमीन को हथियाने एवं रूपया ऐंठने की मन्शा से गलत प्रार्थना पत्र कारण रचित कर यह मिथ्या मुकदमा माननीय न्यायालय आपमें कर दिया है जिसमें प्रार्थी को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्ततः सव्यय खारिज होगा।

20. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी हमारे विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित हाने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

21. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 7 द्वारा अपनी बहस में जवाब

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested

में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

22. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी तह. मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 651 पर दर्ज आराजी नम्बर 1443, 1445, 1446, 1494, 1495, 1496, 1498, 1501 किता 8 कुल रकबा 2.2177 हेक्टेयर भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.10.2008 से क्रय की गई थी। प्रार्थी का कथन है कि मेरे पिता द्वारा पैतृक भूमि को विक्रय कर उक्त वादग्रस्त भूमि क्रय की गई। उक्त क्रय की गई भूमि विपक्षी संख्या 1 जो हमारी माता है उसके नाम दर्ज की गई। इस कारण से उक्त भूमि भी पैतृक भूमि बताकर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि की खातेदार विपक्षी संख्या 1 हैं जिसके द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई थी। इस प्रकार खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में साबित होता हैं। यदि विपक्षी संख्या 1 खातेदार को पाबंद किया जाता है तो इससे उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.12.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:22 IST
Reason: SelfAttested